न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 332/2019
अनवान : –

1. रजत उम्र 12 वर्ष पुत्र महेन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. साहिल उम्र 9 वर्ष पुत्र महेन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. सुमन पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

असल प्रतिवादीगण

2. श्रवण पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. शीला पुत्री बृजलाल पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 115/111 के ख0न0 395/2 की 4.4010 हैक्ट भूमि में से 0.88040 हैक्ट भूमि यानि की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता स0 116/112 के ख0न0 396/2 की 5.3750 हैक्ट भूमि मे से 0.716875 हैक्ट भूमि यानि की 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजो यानि की भिराज के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वादीगण के पिता महेन्द्र का देहान्त हो चुका है इसलिए वादीगण संख्या 1 ता 3 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को अपने हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देने हेतु कई दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजो यानि की भिराज के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वादीगण के पिता महेन्द्र का देहान्त हो चुका है इसलिए वादीगण संख्या 1 ता 3 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 115/111 के ख0न0 395/2 की 4.4010 हैक्ट भूमि में से 0.88040 हैक्ट भूमि यानि की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता स0 116/112 के ख0न0 396/2 की 5.3750 हैक्ट भूमि मे से 0.716875 हैक्ट भूमि यानि की 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 115/111 के ख0न0 395/2 की 4.4010 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 0.88040 हैक्ट भूमि यानि की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता स0 116/112 के ख0न0 396/2 की 5.7350 हैक्ट भूमि मे से 0.

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

716875 हैक्ट भूमि यानि की 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण संख्या 1 ता 3 को संयुक्ततः 1/4 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी 1 को 1/4 हिस्सा भूमि का व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक को 1/4 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 332/2019

अनवान : –

1. रजत उम्र 12 वर्ष पुत्र महेन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. साहिल उम्र 9 वर्ष पुत्र महेन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. सुमन पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

असल प्रतिवादीगण

2. श्रवण पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. शीला पुत्री बृजलाल पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 332 सन 2019 निर्णय दिनांक 07/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 115/111 के ख0न0 395/2 की 4.4010 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 0.88040 हैक्ट भूमि यानि की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता स0 116/112 के ख0न0 396/2 की 5.7350 हैक्ट भूमि मे से 0.716875 हैक्ट भूमि यानि की 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण संख्या 1 ता 3 को संयुक्ततः 1/4 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी 1 को 1/4 हिस्सा भूमि का व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक को 1/4 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर